भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3625
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी 2014 को दिया जाना है

पुराने वाहनों का उपयोग न करना

3625. श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एस.आई.एम.एम.) ने उन वाहनों की सेवा बंद करने की मांग की है जो एक निश्चित समय-सीमा को पार कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर एक वाहन को एक निश्चित समय तक चलाए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया जाता है;

(ग) क्या ऑटो उद्योग नए वाहनों की मांग उत्पन्न करने के प्रयोजन से एक निश्चित समय-सीमा के बाद के वाहनों का उपयोग बंद करने की मांग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क) से (घ): ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण की परिकल्पना करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य वाहनों के सामान्य कारोबार में गति लाई जाए ताकि नए, स्वच्छ वाहनों का उपयोग आरंभ करते हुए प्रदूषण में कटौती की जा सके।

एएमपी 2006-16 में की गई परिकल्पना के अनुसार, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने एक निश्चित समय-सीमा को पार चुके वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन वाहनों को सड़क से हटाने का मुख्य आधार उनकी आयु है, ताकि पुराने वाहन जिनका प्रदूषण में अधिक योगदान होता है और जो अपेक्षित सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, को अंततः सड़क से हटाया जा सके। हालांकि, वाहनों की जांच-पड़ताल और निरीक्षण और उनके दुरुस्त होने अथवा अन्यथा को प्रमाणित करने के लिए एक विस्तृत निरीक्षण और अनुरक्षण पद्धति की आवश्यकता होगी। इससे अवसंरचना का सृजन और लोगों के बीच इस प्रकार प्रमाणित किए गए अपने वाहनों को छोड़ने के लिए जागरूकता अपरिहार्य भी हो जाएगी। वर्तमान में, यात्री वाहनों को त्यागने तथा उनको बेकार घोषित करने के कोई विशिष्ट विनियम मौजूद नहीं हैं।

*****